दिल्ली सरकार हिंसा के बारे में क्या कर सकती है/नहीं कर सकती है

लेखक - कौनेन शेरिफ एम (संपादक)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (शासन व्यवस्था) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

26 फरवरी, 2020

"इस आलेख में हम जानेंगे कि दिल्ली में चल रही हिंसा में राज्य सरकार केंद्रशासित प्रदेश में क्या कार्यवाई कर सकती है जहाँ पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है? केंद्रीय बलों को दिल्ली किन-किन परिस्थितियों में बुला सकती है? और अगर बुलाई जाती है तो फिर राज्य की भूमिका क्या होगी?"

केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को झकझोर कर रख देने वाली हिंसा के बीच, एक अहम सवाल यह उठता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार कानून-व्यवस्था को नियंत्रण में लाने के लिए कोई कदम उठा भी सकती है या नहीं। इसका जवाब सीधा नहीं है, इसमें कई पहेलियाँ शामिल हैं।

क्या दिल्ली सरकार का कोई अधिकारी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार से सशस्त्र बल तैनात करने का अनुरोध कर सकता है?

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT) को अनुच्छेद 239AA के तहत एक विशेष दर्जा दिया गया है, जो एक निर्वाचित विधायिका और मंत्रियों की परिषद को कानून बनाने और प्रशासन की शक्तियाँ प्रदान करता है। हालांकि, कानून दो विषयों (सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस) को सीधे केंद्र सरकार के अधीन रखता है।

वैसे देखा जाये तो इसमें भी कुछ अपवाद हैं। दण्ड-प्रक्रिया-संहिता (CrPC, सीआरपीसी) की दो धारा (129 और 130) कार्यकारी मजिस्ट्रेट को 'गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने' से उत्पन्न समास्याओं से निपटने के लिए कुछ शक्तियाँ प्रदान करता है। सीआरपीसी की धारा 129 के तहत् अगर कोई समूह गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा पाया जाता है, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट इन व्यक्तियों को तितर-बितर करने का आदेश जारी कर सकता है। यदि वह विफल रहता है, तो मजिस्ट्रेट नागरिक बल (पुलिस) का उपयोग कर सकता है।

यदि ये प्रयास भी विफल होते हैं, तो कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सीआरपीसी की धारा 130 के तहत संघ के सशस्त्र बलों के एक अधिकारी को 'गैरकानूनी तरीके से इकट्ठी भीड़' को तितर-बितर करने के लिए बुला सकते हैं। इस खंड में कहा गया है कि इसे 'सार्वजनिक सुरक्षा' के लिए लागू किया जा सकता है। इसलिए, इन दो सीमित शक्तियों के तहत कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है, सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित आदेश जारी कर सकता है।

सीआरपीसी की धारा 130 कैसे संचालित होती है?

इसकी तीन उपधारा हैं। पहली उपधारा में कहा गया है कि अगर नागरिक बल किसी 'गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने वाली भीड़' को व्यवस्थित करने में सक्षम नहीं हो रहा है (और यदि यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि इसे तितर-बितर किया जाए) तब उच्चतम रैंक का कार्यकारी मजिस्ट्रेट जो उस समय मौजूद है, वह सशस्त्र बलों को भीड़ को तितर-बितर करने का आदेश दे सकता है।

संघ के सशस्त्र बल के अधिकारी को कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा की गई माँग का अनुपालन करना चाहिए। हालाँकि सीआरपीसी की धारा 130 अधिकारी को यह अधिकार देता है कि वह अपने विवेक के आधार पर यह तय करे कि 'गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने वाली भीड़' को अपनी आदेश के तहत बलों द्वारा किस तरह से तितर-बितर करना है।

धारा 130 के तहत दूसरी उपधारा के अनुसार 'मजिस्ट्रेट को सशस्त्र बलों के किसी भी समूह के कमांड में किसी भी अधिकारी की आवश्यकता हो सकती है, जो उसकी कमान के तहत सशस्त्र बलों की मदद से 'गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने वाली भीड़' को तितर-बितर कर सकता है। साथ ही मजिस्ट्रेट के निर्देशन के आधार पर अव्यवस्था फैलाने वाले लोगों को गिरफ्तार करना और उन्हें जेल में डालना या कानून के अनुसार सजा दे सकता है।"

तीसरी उपधारा बताती है कि सशस्त्र बल 'कम बल' का उपयोग करेंगे। इसमें कहा गया है कि सशस्त्र बलों का प्रत्येक अधिकारी इस तरह की माँग का पालन इस तरह से करेगा जैसा कि वह उचित समझता है, लेकिन ऐसा करने में वह बहुत कम बल का उपयोग करेगा और व्यक्ति तथा संपत्ति को कम नुकसान पहुँचाएगा। जिसमें सभा और ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करना और हिरासत में लेना भी शामिल है।

क्या एक पूर्ण राज्य में सशस्त्र बलों को बुलाने की अधिक शक्तियाँ हैं?

जैसा कि सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस राज्य की सूची में हैं, इसलिए राज्य सरकार केंद्र सरकार से सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल करने में मदद करने के लिए सशस्त्र बल उपलब्ध कराने का अनुरोध कर सकती है। यहाँ तक कि उन परिस्थितियों में भी माँग कर सकती है जहाँ सार्वजनिक अव्यवस्था इतनी गंभीर नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 355 में परिभाषित 'आंतरिक गड़बड़ी' की श्रेणी में आते हैं, केंद्र सरकार अनुरोध को स्वीकार कर सकती है। हालाँकि, यह ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि एक 'गैरकानूनी तरीके से इकट्ठा होने वाली भीड़' को व्यवस्थित करने और उपद्रवियों को गिरफ्तार करने के सीमित उद्देश्य को छोड़कर (जिसके लिए सीआरपीसी की धारा 130 कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सेना की सहायता की आवश्यकता का अधिकार देता है) न तो राज्य सरकार और न ही कोई प्राधिकरण को संविधान द्वारा किसी सार्वजनिक अव्यवस्था या 'आंतरिक गड़बड़ी' से निपटने के लिए सशस्त्र बलों को बुलाने का कोई कानूनी अधिकार प्रदान किया गया है।

इसके अलावा, संविधान की सातवीं अनुसूची (जो राज्य सूची में सार्वजनिक व्यवस्था के विषय से संबंधित है) कहती है कि सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में सशस्त्र बलों का उपयोग राज्यों के दायरे से बाहर है।

दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान सेना को कब बुलाया गया था?

पी. गवई, जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे, जब 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे, ने सरकार से सेना को तैनात करने का अनुरोध किया था। न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जाँच आयोग ने पाया है कि सेना को बुलाने में दिल्ली प्रशासन (उपराज्यपाल और पुलिस आयुक्त) की ओर से देरी हुई थी, हालाँकि 31 अक्टूबर की आधी रात तक लगभग 5,000 सेना के जवान पहुँच गये थे। नानावती आयोग भी सेना को बुलाने में देरी पर न्यायमूर्ति मिश्रा आयोग के निष्कर्षों से सहमत था।

तरलोचन सिंह, जो भारत के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव थे और नानावती आयोग में पदस्थापित थे, ने कहा कि राष्ट्रपति ने फोन पर उपराज्यपाल से संपर्क किया था और उन्हें 'दंगों को रोकने के लिए सभी संभव उपाय करने' के लिए कहा था, और उनसे कहा था कि 'अगर स्थिति इतनी खराब है तो सेना की सहायता को बुलाया जाना चाहिए।'

अपदस्थ लोगों में आईके गुजराल (बाद में भारत के प्रधानमंत्री) थे, जिन्होंने कहा कि 1 नवंबर, 1984 की सुबह, उन्होंने उपराज्यपाल गवई से संपर्क किया था और उनसे कहा था कि वे सेना को बुलाएं और उपराज्यपाल ने जवाब दिया था कि 'यदि' सेना को बुलाया जाता है, इससे लोगों के बीच आतंक का माहौल पैदा हो सकता है।"

मेजर जनरल जेएस जम्वाल, जो दिल्ली क्षेत्र के जनरल कमांडिंग ऑफिसर थे, ने यह दर्शाया कि 1 नवंबर, 1984 को लगभग 11 बजे उन्हें सेनाध्यक्ष से संदेश मिला कि यदि मदद के लिए अनुरोध प्राप्त हो तो वह तैयार रहें। जिसके बाद उन्होंने उपराज्यपाल गवई से संपर्क किया और उनसे कहा कि यदि सेना से कोई मदद की आवश्यकता है, तो उन्हें सूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सेना को 2 नवंबर की देर शाम को तैनात किया गया था और यह कुछ क्षेत्रों में 3 नवंबर से प्रभावी हो गया था।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

प्र. हाल ही में दिल्ली में हुए हिंसा के बाद अनुच्छेद-239 और 239AA चर्चा में बना हुआ है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दिल्ली की निर्वाचित सरकार अनुच्छेद-239AA के तहत् सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि अधिकारों से संबंधित कानून नहीं बना सकती है।
2. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अनुच्छेद-239AA के तहत् उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद् की सलाह पर काम नहीं करेंगे।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

Expected Questions (Prelims Exams)

Q. Articles-239 and 239AA are in news recently after the recent violence in Delhi. Consider the following statements in this context.

1. Elected Government of Delhi according to Article-239AA cannot make laws related to Public order, policing and land rights.
2. According to Supreme Court the Lt. Governor will not act on the advice of the Council of Ministers of the Delhi Government under Article-239AA.

Which of the above statements are correct?

(a) Only 1 (b) Only 2

(c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2

नोट : 25 फरवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (b) होगा।

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्र. दिल्ली में हुई हालिया हिंसा को रोकने में राज्य सरकार की शक्तियाँ ऊपरी तौर पर सीमित दिखाई पड़ती हैं। ऐसी परिस्थितियों से निपटने हेतु दिल्ली सरकार को किस प्रकार की शक्तियाँ प्रदान किया जाना व्यवहारिक माना जा सकता है? (250 शब्द)

'The powers of the state government to prevent the recent violence in Delhi appear to be limited. What kind of powers can be considered to be given to the Delhi government to deal with such situations? (250 words)

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।